प्रेसनोट

पिथौरागढ़–20.09.13(सूवि),

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ ओम कुमार ने अवगत कराया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान एवं जिला जज सीपी बिजल्वान की अध्यक्षता में 28 सितम्बर को जनपद में लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने कहा है कि लोक अदालत में जनपद के विभिन्न न्यायालयों में लंबित दीवानी, फौजदारी, राजस्व, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, भरण–पोषण, पारिवारिक विवादों सहित लघु आपराधिक वादों आदि का निस्तरण सुलह–समझौते एवं स्वीकारोक्ति के आधार पर किया जायेगा।

उन्होंने वादकारियों से मामलों को सुलझाने हेतु संबंधित न्यायालयों से संपर्क स्थापित कर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने को कहा है।

पिथौरागढ़–20.09.13(सूवि),

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ ओम कुमार ने अवगत कराया है कि बन्दियों को विधिक जानकारी देने एवं उनकी कानूनी समस्याओं के समाधान हेतु न्यायिक बन्दीगृह पिथौरागढ़ में 25 सितम्बर को अपरान्ह 4.00 बजे से विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया जायेगा, जिसमें बंदियों को कानूनी जानकारी देने के साथ ही उनकी कानूनी समस्याओं का समाधान भी किया जायेगा।

जिला सूचना अधिकारी
पिथौरागढ़।